# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
## गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष: 0755–2583650, फैक्स: 2583651, ई–मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक / समन्वय / बी / 2019 / 180 भोपाल, दिनांक 3/10/19

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 23.09.2019 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 23.09.2019 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा0क्रमांक / समन्वय / बी / 2019 / 181 भोपाल, दिनांक 3/10/19

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक प्रशासन लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, अपर संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

# दिनांक 23.09.2019 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.09.2019 को वल्लभ भवन स्थित एन.आइ.सी.कक्ष में अपरान्ह 4.00 से 5.30 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग संचालक, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संचालनालय के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में एजेण्डा बिन्दु अनुसार चर्चा की गई।

1. **भवन** –इस वर्ष अतिवृष्टि से शाला भवन क्षतिग्रस्त हुए है इसकी जानकारी संचालनालय द्वारा चाही गई थी जिसे जिलों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया एवं कुछ ही जिलों ने इस संबंध में जानकारी प्रेषित की है। निर्देश दिए गए कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त शाला भवन एवं पाठ्य पुस्तकों का गल जाना, पानी में बह जाना आदि के संबंध में सभी जिलों को जानकारी अनिवार्य रुप से भेजने के निर्देश दिये। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो चुकी है, केन्द्र सरकार से क्षतिपूर्ति हेतु राशि की मांग की जाना है। जानकारी के अभाव में मांग हेतु सही राशि का आंकलन करना कठिन होगा। यदि संभव हो तो पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति आपके पास उपलब्ध पुस्तकों से कर दें ताकि पुस्तकों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

2. **महात्मा गांधी जी की 150 वीं जंयती–** इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150 वीं जंयती मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। आवश्यक दिशा निर्देश संचालनालय द्वारा 20 सितंबर को भेजे गए पत्र में विस्तृत में दिए गए हैं। सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में इस अवसर पर **"हिन्द स्वराज"** पुस्तक का वाचन 25 सितंबर से प्रारंभ कराया जाकर 02 अक्टूबर तक प्रतिदिन एक कालखंड में बैठकर पुस्तक के चयनित अंशों का वाचन पूर्ण कराया जाना है। जिन शालाओं में यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है वहां इसे जिला पुस्तकालय से प्राप्त करें या पुस्तक निधि से क्रय कर यह कार्यक्रम सम्पन्न कराएें। इसमें सम्मिलित छात्रों की उपस्थिति का प्रपत्र, संस्थावार, तिथिवार संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना है। इस अवसर पर खींचे गए फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी, सी.डी. आदि बनाने एवं अवगत कराने हेतु निर्देश दिए।

3. **एक परिसर एक शाला–** एक परिसर एक शालाओं का वेरिफिकेशन कराने के बाद इंटिग्रेटेट टाईम टेबल 95 प्रतिशत शालाओं में पूर्ण हो गया है, गुणवत्ता में परिवर्तन आया है या नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट जिलों से प्राप्त नहीं हुई है । विकासखंड वार यदि देखा जाए तो एक विकासखंड में कुल 40–45 शालाऐं होंगी। इंटीग्रेटेट प्रोग्राम हेतु कुल 17,000 बीआरसी, एडीपीसी, आरएमएसए में बैठकर इन विद्यालयों में परिवर्तन ला सके ऐसा सुनिश्चित करें। पूरी तरह से पढ़ाई की गुणवत्ता पर फोकस करें। जुलाई में भिंड जिले में 454 में से 244, रीवा 735 में से 544 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिला विदिशा में 91 शालाओं की प्राप्त नहीं हुई है। पन्ना एवं दमोह में भी लंबित है। जिन जिलों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई उनके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गई। सागर, सतना, सीहोर से शतप्रतिशत रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनकी प्रशंसा की गई।

निरन्तर–2

4. **मिशन 1000**– मिशन 1000 में प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में उत्कृष्ट, मॉडल शालाओं को भी सम्मिलित किया गया। सभी प्रशिक्षित प्राचार्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे प्रशिक्षण के पश्चात अपने शिक्षकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराए। सभी जिले के अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता लेकर रिसोर्स गेप को कम करवा सकते हैं। प्राचार्यों को यदि कोई कठिनाई आए तो वे अपने स्तर से उसे दूर करें ताकि वे अपने स्कूल को आदर्श स्कूल घोषित कर पाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिले के प्रशिक्षित प्राचार्यों के साथ एक बैठक करें एवं उनकी कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करें ताकि वे अपनी–अपनी शाला कों पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर एक अच्छे विद्यालय के रुप में स्थापित कर पाऐ।

5. **स्थानान्तरण**– अध्यापक संवर्ग के स्थानान्तरण के संबंध में जिलावार समीक्षा की गई। कुछ जिलों में यह बात ध्यान में आई है कि बहुत से शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं ज्वाइन नहीं कराया गया है, इसके कारणों की समीक्षा की गई एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अब वर्ग एक की भर्ती की प्रकिया प्रारंभ हो रही है। जब तक स्थानान्तरण का कार्य पूर्ण रुप से शतप्रतिशत बंद होगा तभी भर्ती हेतु रिक्तियों की स्थिती स्पष्ट हो पाएगी। जहां रिक्त पद तो है लेकिन वे शिक्षक होल्ड पर है ऐसे स्थानान्तरण प्रकरणों में अपने जिले के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से आप नोटशीट पर अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण एवं निरस्तीकरण के प्रकरणों में कार्यवाही कर वेतन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गये, अपडेट होने उपरांत ही भर्ती संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी।

यदि किसी शिक्षक ने स्थानान्तरण चाहा है और अब वे निरस्तीकरण चाहते हैं तो वे यह कार्य स्वयं अपने लॉगिन आई.डी. से करें। जो शिक्षक स्थानान्तरण के पश्चात कार्यमुक्त नहीं हो रहे है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। संकुल प्राचार्य द्वारा जिन शिक्षकों को होल्ड पर डाला है ऐसे प्रकरणों का निराकरण का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थानान्तरण प्रकरण शतप्रतिशत शीघ्र निराकृत हो जाए।

अतिशेष शिक्षकों को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के दौरान भी सक्षम अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है। शिक्षक विहिन या एक शिक्षकीय शाला में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु रुप से होती रहे यह निर्देश दिये गये।

6. **अतिथी शिक्षक** –जिला अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अतिथी शिक्षकों के रिक्त पद पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवगत कराया गया कि संचालनालय से परीक्षण करके रिक्तियां अपडेट हो रही है, इस संबंध में एक्सेल शीट सभी अधिकारियों को भेजकर प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेन्डरी की रिक्तियां अपने स्तर पर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। सामाजिक विज्ञान का पद माध्यमिक शाला में प्रतिबंधित है। इस विषय में कार्यरत शिक्षकों में 12000 शिक्षक अतिरिक्त हैं।

कई जिलों से यह शिकायत आ रही है कि अतिथी शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं

निरन्तर–3

हो रहा है। संचालनालय द्वारा बजट आवंटन के पश्चात भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है मानदेय का बजट अन्य मद में आहरित किया जा रहा है, यह स्थिति ठीक नहीं है। सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि संचालनालय से जो एक्सेल शीट भेजी जा रही है उसमें राशि के वितरण की जानकारी भेजी जाए।

7. **शालाओं में तिमाही परीक्षा** – शालाओं में तिमाही परीक्षा चल रही है। अतिवर्षा के कारण जहां शाला भवनों में पानी भर गया है, पुस्तकें बह गई है, नीमच, भिंड, मुरैना जिले के अलावा और किन जिलों में परीक्षाऐं नहीं हुई हो तो संचालनालय को इसकी सूचना शीघ्र दें। तिमाही परीक्षा के दौरान परीक्षा समय के बाद छुट्टी नहीं करना है शिक्षक पूरे समय कापियां जांचने आदि का कार्य सम्पादित करें। दिनांक 05 अक्टूबर तक सभी शालाओं के रिजल्ट अपलोड कर दिए जाए।

8. **ब्रिज कोर्स का संचालन**–शालाओं में त्रैमासिक ब्रिज कोर्स को मेन कोर्स में सम्मिलित किया है। जिसमें प्रश्न पत्र दो भागों अ एवं ब भाग में होगा। एंड लाईन के रिजल्ट को त्रैमासिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाना है। ब्रिज कोर्स का मूल्यांकन भी इसी आधार पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

9. **वर्ग एक के पदों पर नियुक्ति**– वर्ग एक के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की जाना है, इस हेतु रोस्टर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक स्तर पर बनाया जाना है। इस संबंध में संचालनालय से दिशा निदेश दिए गए। गूगल शीट का प्रिंटआउट निकालना है और उसे भरना है। नं 11 में भरती का प्रकार, नं 14 में डिसएबेलिटी, नं 18 में भरती का प्रकार क्या था – यथा पदोन्नति, सीधी भरती, भर्ती किस विषय में हुई थी। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची विषयवार बनाई जाये, पहले आफ लाइन प्रविष्टि के बाद ऑन लाईन प्रविष्टि करेंगे। शिक्षक के नियुक्ति आदेश की एक प्रति लगाकर अपने संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से जानकारी संचालनालय को भेजे ताकि रोस्टर तैयार कर रिक्त पदों की जानकारी पूर्ण कर सके। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाना है, यह कार्य सभी अधिकारी स्वयं अपने निर्देशन में सम्पन्न कराऐं। अनाधिकृत अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में यदि कोई विशेष टीप हो तो वह भी लिखित में भेजे। यदि किसी शिक्षक का रिकार्ड प्राप्त नहीं हो रहा है तो कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लिखित में लेकर पुष्टि करें उन प्रकरणों की एफ.आई.आर. दर्ज की जावेगी।

10. **विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां** – शालाओं में आयोजित की जाने वाली विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी शैक्षणिक केलेण्डर में शामिल की गई है। इस वर्ष मोगली बाल उत्सव का आयोजन सिवनी जिले के पेंच में आयोजित किया जावेगा। दिशा निर्देश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी किए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में निबंध, क्विज एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगिताऐं शाला, संकुल, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर सम्पन्न की जाए। प्रतियोगितायों के संयोजक शाला के प्राचार्य नियुक्त हो। इको क्लब द्वारा 03 अक्टूबर को लिखा प्रश्न पत्र परिलक्षित होगा। प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराया जावेगा। यह पूरी जानकारी दिनांक 04 अक्टूबर तक विद्या कक्ष की ई–मेल आई.डी. पर भेजने के निर्देश दिये। यदि इसमें

निरन्तर–4

कोई भी समस्या आ रही है तो संचालनालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन सिवनी जिले के पेंच में आयोजित किया जावेगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के पालन में दिनांक 02 अक्टूबर से प्लास्टिक मुक्त भारत का जनजागरुकता कार्यक्रम शिक्षा विभाग के समन्वय से होगा। शालाओं में प्रति सप्ताह होने वाली बाल सभाओं में भी इसे सम्मिलित किया जावे। सी.सी.एल.ई.के माध्यम से भी इस संबंध में जागरुकता कराई जाना चाहिए। इस सबंध में दिशानिर्देश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिनांक 23 सितंबर को जारी किए गए हैं। प्रतिदिन की जानकारी संकलित करना है। उपस्थित छात्रों का रिकार्ड रखें। प्लास्टिक मुक्त भारत के जनजागरुकता कार्यक्रम को गंभीरता से लें।

11. **पुस्तकालय**– केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर, खंडवा के लिए राशि आवंटित की गई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। कई जिलों से भी आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्राप्त है जिसमें विदिशा, सिवनी, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, देवास तथा धार जिले की विक्रम लाईब्रेरी के स्वामित्व के संबंध में जानकारी चाही गई। जिला शिक्षा अधिकारी, उमरिया ने उमरिया में पुस्तकालय नहीं होने की जानकारी दी, संचालनालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए, जला शिक्षा अधिकारी शहडोल ने अवगत कराया कि शहडोल पुस्तकालय की बाउंड्रीवॉल नहीं है इसके लिए प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए गये। जिला हरदा ने अवगत कराया कि पुस्तकालय हेतु फर्नीचर, अलमारी एवं पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं, मांगपत्र भेजे राशि आवंटित करने की कार्यवाही संचालनालय से की जावेगी। जिला अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कई वर्षों से ग्रथपालों की नियुक्ति नहीं हुई है जिससे ग्रंथालय के संचालन में बहुत ही असुविधा हो रही है। संविदा या अन्य किसी तरह की नियुक्ति की सहमति हो जाए तो कार्य करने में आसानी होगी।

12. **अनुदान प्राप्त शालाओं की जानकारी**– निर्देश दिए गए थे कि सभी संभागीय अधिकारी अपने–अपने जिले की अनुदान प्राप्त शालाओं का निरीक्षण करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह में संचालनालय को भेजा जाए, केवल विदिशा ने निरीक्षण प्रतिवेदन भेजा है, शेष जिलों से जानकारी अप्राप्त है। इन शालाओं के स्टाफ के द्वारा सातवें वेतनमान की मांग की जा रही है, सुनिश्चित करें कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

13. **बजट आवंटन**– वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक बजट आवंटित किया जाता है। जिसमें प्रथम त्रैमास के बजट की राशि 30 सितंबर तक लेप्स हो जाती है, यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो मांगपत्र भेजे ताकि अतिरिक्त बजट की मांग की जा सके। बजट का सही उपयोग हो जाए। मॉडल, एक्सीलेंस के मानदेय का भुगतान संबंधित को हो जाए।

न्यायालयीन प्रकरणों में स्कूल के प्राचार्यों से रिपोर्ट मंगवाए एवं उनके अभ्यावेदनों का निराकरण करें।

निरन्तर–5

14. 01 जुलाई 2018 को नवीन केडर में नियुक्ति दी गई है इसमें गायन, वादन, व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक छूट गए थे। मार्च 2019 में आदेश हो गए हैं पूर्व में जो संगीत व्यायाम शिक्षक थे उनके कई जिलों ने प्राथमिक शिक्षक के आदेश जारी कर दिए है। सहायक अध्यापक संविलियन का संशोधित आदेश प्रारुप संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। कालम कमांक 05 में खेलकूद शिक्षक, श्रेणी अ प्रयोग शाला शिक्षक जिनके पूर्व में आदेश जारी हो गए है उनके संशोधित आदेश जारी करना है। प्राथमिक शिक्षक

के नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। यह कार्यवाही भी जिला शिक्षा अधिकारी को करना है। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के अध्यापकों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी संयुक्त संचालक है उन्हें ही संशोधित आदेश जारी करना है। इन संवर्ग के सभी अध्यापक स्थानान्तरण से भी वंचित रह गए हैं। क्राफ्ट शिक्षक का संवर्ग नया है इनके प्राथमिक शिक्षक के आदेश जिला स्तरीय पात्रता समिति से अनुमोदन कराने के पश्चात डिजिटल सिग्नेचर से जारी किये जाए।

15 योग प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण रोस्टर अनुसार आगामी 01 अक्टूबर से 05 शिक्षको को अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण में भेजा जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव के निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी सभी को प्रशिक्षण लेना है। योग प्रशिक्षण के दर्ज नामांकन पर प्रमुख सचिव का पूर्ण ध्यान है यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

16 सी.एम.हेल्पलाइन, शाला भवन निर्माण कार्यों को विशेष ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक का समाप्त की गई।

के. के. द्विवेदी
संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.